Sick Textile undertakings taken over by NTC

3493. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the number of sick textile undertakings taken over by the National Textile Corporation since the date of its incorporation;

(b) how many of such mills were modernised and expended;

(c) whether the performance of these mills has improved after their taking over by NTC; and

(d) if so, what are the production figures of different varieties of cloth by these mills for the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) At present, there are 125 textile mills (109 nationalised and 16 managed) under NTC.

(b) Modernisation is a continuous process, investments have been made by NTC on modernisation/renovation of 101 nationalised units so far.

(c) Yes, Sir. There has been some improvement in the technical parameters of the mills.

(d) Since NTC mills manufacture a large range of cloth, it is difficult to give production figures of different varieties. However, the total production of cloth by NTC mills during the last 3 years was as follows:

Year	Total cloth production (In Mn. Mtrs.)
1984-85	920.5
1985-86	994.7
1986-87	964.5 (Approx.)

मैसर्स कोटिस फूड प्रिजर्वर्स, लारेंस रोड दिल्ली में ताला बन्दी

3494. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोटिस फूड प्रिजर्वर्स, ए-3, लारेन्स रोड, दिल्ली-35 के मालिकों ने 1 अगस्त, 1987 से अपनी फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 180 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा मालिकों द्वारा पुलिस की सांठ-गांठ से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है और क्या कर्मचारी यूनियन ने इस सम्बन्ध में दिल्ली के श्रम आयुक्त को शिकायत पत्र भी भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फैक्ट्री में केवल 10 कर्मचारी नियमित हैं और शेष 121 कर्मचारियों को हर 15 दिन के पश्चात् दैनिक मजदूरी के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और पचास मजदूर फैक्ट्री में तीन श्रम ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुये तालाबंदी को हटाने और इन मजदूरों को पुनः नियोजित कराने के लिये कोई कार्रवाही करेगी; और

(घ) इस फर्म द्वारा कर्मचारी राज्य-बीमा निगम तथा कमचारी भविष्य निधि में कितनी धनराशि जमा करायी गई है और उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दिल्ली प्रशासन से, जो समुचित सरकार है, प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स कोटिस फूड प्रिजर्वर्स, लारेंस रोड, दिल्ली के प्रबंधतन्त्र ने अपना कारखाना 1-8-1987 से बन्द कर दिया है । प्रबंधतन्त्र द्वारा इस प्रयोजन के 29-6-1987 को दिये गये नोटिस के अनुसार, काम बन्दी के समय कारखाने में 65 कर्मचार नियोजित थे । नियोजक द्वारा पुलिस की सांठगांठ से कर्मचारियों को परेशान करने के

सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के श्रमायुक्त को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उन्हें दो यूनियनों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कारखाने की अवैध कामबन्दी का आरोप लगाया गया है। कर्मचारों की बहाली के सम्बन्ध में यूनियन द्वारा उठाये गये तथा 57 कर्मचारों द्वारा हस्ताक्षर किये गए औद्योगिक विवाद पर संशोधन कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनसार, प्रबंधतन्त्र ने सूचित किया है कि कारखाने में 12 नियमित कर्मचार नियोजित थे और लगभग 54 से 77 कर्मचार ठेकेदारों द्वारा भिन्न-भिन्न अवधि के लिये नियोजित थे। दिल्ली प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि कर्मचारों को प्रति पाक्षिक दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद में संशोधन कार्रवाई चल रही है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का नियमित रूप से पालन कर रहा है तथा इसकी और कोई बकाया राशि नहीं है।

Demands of Punjab Khet Mazdoor Union

3495. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Khet Mazdoor Union has been demanding since long for the establishment of a machinery from Block to State level for implementation minimum wages and for deciding other labour disputes relating to rural labour;

(b) if so, what is the reaction of Government thereto;

(c) whether it is a fact that the Punjab Government has kept out the rural labourers including the agricultural labour from the purview of the notification issued in regard to minimum wages; and

(d) whether the rural labour has been continuously included under the purview of the minimum wages notification issued in the past; if so, what are the reasons for keeping out rural labour from the purview of minimum wages notification now?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the house.

Closing down of rural labour wing of labour department in Punjab

3496. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Punjab Government has decided to close down the rural labour wing of its labour Department;

(b) if so, what are the reasons for taking this decision;

(c) whether Government are aware that the said decision is being opposed by the Punjab Khet Mazdoor Union and other Unions; and

(d) if so, whether the Punjab Government is proposing to withdraw the said decision; if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) As per information received from Punjab Government, prior to 1-12-1986, the Rural Wing of Labour Department of the Punjab Government consisted of 12 posts of Labour-cum-Conciliation Officers and 12 posts of Labour Inspectors Grade-I with their supporting staff; namely, Clerks and Peons. While 12 posts of Labour Inspectors Grade-I and their supporting staff were abolished with effect from 1-12-1986, the remaining posts of Labour-cum-Conciliation Officers with their supporting staff are continuing at present.